<u>न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बहराइच।</u>

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–528/2026

(CNR No.UPBH010012652026)

राम प्रसाद उम्र 44 वर्ष पुत्र ननकऊ, निवासी–जगदीशपुर, थाना–रिसिया, जनपद–बहराइच।

---आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य--- -----अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या–410/2008,
मुकदमा संख्या–860/2025,
धारा–307, 401 भा०द०सं०
थाना–रिसिया, जनपद–बहराइच।

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र</u>

<u>16.03.2026</u>

1– यह जमानत प्रार्थना–पत्र आवेदक/अभियुक्त राम प्रसाद की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–410/2008, धारा–307, 401 भा०द०सं०, थाना–रिसिया, जनपद–बहराइच के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2– आवेदक/अभियुक्त की ओर से यह कथन किया गया है कि उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ अथवा अन्य किसी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

3– आवेदक/अभियुक्त की जमानत के सम्बन्ध में आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न शपथ–पत्र में वर्णित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था और न्यायालय पर पेशियों पर उपस्थित होता रहता था, परन्तु कुछ समय पूर्व वह मजदूरी करने पंजाब राज्य चला गया और वहीं पर रहकर मजदूरी करने लगा और अपने पूर्व अधिवक्ता को भी अपने पंजाब राज्य में होने की सूचना नहीं दिया, जिस कारण गैर हाजिरी के कारण न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र जारी कर दिया गया। आवेदक/अभियुक्त अनपढ़ है तथा अक्सर बीमार रहता है। उसने न्यायालय उपस्थित न होने में जानबूझकर कोई गलती नहीं की है, बल्कि पंजाब में मजदूरी करने चले जाने के कारण गलती हुई है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह जमानत पर छूटने के उपरान्त न्यायालय के सभी आदेशों का अक्षरशः पालन करेगा तथा मुकदमे की प्रत्येक नियत तिथि पर उपस्थित होता रहेगा। उसके जेल में बन्द रहने से परिवार भूखों मरने की कगार पर आ जायेगा। वह दिनांक–05.02.2026 से वारण्ट रिकाल निरस्त होकर जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त कथनों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गई।

4– राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक/अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। आवेदक/अभियुक्त के काफी समय तक अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया, जिस पर वह न्यायालय उपस्थित हुआ और गैर–जमानतीय अधिपत्र निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकार किया गया, परन्तु वह पुनः न्यायालय उपस्थित नहीं हुआ, जिस कारण उसके विरूद्ध पुनः गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया। उक्त अधिपत्र के अनुपालन में अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है। मामला अत्यन्त पुराना वर्ष–2008 की हत्या के प्रयत्न से सम्बन्धित है। आवेदक/अभियुक्त को यदि जमानत पर रिहा कर दिया गया तो वह पुनः न्यायालय उपस्थित नहीं होगा और विचारण की कार्यवाही बाधित होगी। आवेदक/अभियुक्त ने पूर्व में प्रदत्त जमानत का दुरूपयोग किया है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर याचना की गई कि आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाये।

5– जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

6– पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी एवं सुसंगत प्रपत्रों का परिशीलन किया, जिससे प्रकट होता है कि आवेदक/अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी अधिपत्र के अनुक्रम में दिनांक–05.02.2026 को स्वयं आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक–16.02.2026 को आरोप विरचित किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना–पत्र में अनुपस्थिति का कारण मजदूरी के सिलसिले में पंजाब जाना बताया है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध दो अन्य आपराधिक वाद पंजीकृत होने सम्बन्धी आख्या प्रस्तुत की गई है, किन्तु उक्त वादों में आवेदक/अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक–05.02.2026 से जिला कारागार, बहराइच में निरूद्ध है। उक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत पर रिहा किये जाने का उचित आधार है। जामिनदारों में से एक जमानती परिवार का सदस्य हो।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त राम प्रसाद की तरफ से उपरोक्त अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को तीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने एवं निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में जमानत पर रिहा किया जायेः–

1. मामले की प्रत्येक नियत तिथि पर आवेदक/अभियुक्त स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त बयान अन्तर्गत धारा–313 द०प्र०सं० अंकित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।
3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर आवेदक/अभियुक्त कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त, साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगा।

(पवन कुमार शर्मा–II)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

दिनाँकः 16.03.2026 **I.D.UP–2735**